न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 103/2022

श्री जयवीर सिंह एडवोकेट, कोर्ट परिसर, खाजूवाला, जिला बीकानेर, मो0न0 9928930555

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 06.04.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.03.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 103/2022 पर दिनांक 23.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1078–79 दिनांक 23.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक सू0अ0/2022/84 दिनांक 31.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयवीर सिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर खाजूवाला जिला बीकानेर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली जाकर इस कार्यालय के पत्र कमांक भू0अ0/2022/582 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा सूचना संबंधित को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0/2022/84 दिनांक 31.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जयवीर सिंह एडवोकेट कोर्ट परिसर खाजूवाला जिला बीकानेर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली जाकर उनके कार्यालय के पत्र कमांक भू0अ0/2022/582 दिनांक 08.03.2022 के द्वारा सूचना संबंधित को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है [illegible] इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां [illegible] है।

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को खु[illegible]यालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:50 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं